फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

केशर बनाम कुलदीप वगैरह

किस्म मुकदमा :– 251–क आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या :– 02/2025

GCMS:-2025/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया के नाम से चक 3 बी.जे.डब्लयू. के खाता संख्या 60/32 के पत्थर नं. 70/39 (38) के किला नं. 11 ता 14 में 1.012 हैक्टर कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम से चक 3 बी.जे.डब्लयू. की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 37/12 की 6.175 हैक्टर कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का 6/10 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा खातेदारी अंकित है। इसी चक के खाता संख्या 1 के पत्थर नं. 70/47 (35) के किला नं. 1/2, 10/2, 11/2, 20/2, 21/2 में 0.125 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इससे प्रार्थीया, अप्रार्थीगण के नाम अंकित भूमि चक 3 बी.जे.डब्लयू. के पत्थर नं. 70/39 के किला नं. 15 के दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम की तरफ 2–2 बिस्वा यानि 0.025 हैक्टर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। अन्य कोई रास्ता नही लगता है। प्रार्थीगण रास्ता की एवज में डी.एल.सी. दर से राशि देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या–3–4–6 ने निवेदन किया कि चक 3 बी.जे.डब्लयू. के पत्थर नं. 70/39 के किला नं. 4–5–7 मे प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता बताया है। जो कि रिपोर्ट में भी अंकित है। प्रार्थीया उक्त खातेदारी भूमि के खातेदारान को पक्षकार बनाकर रास्ता प्राप्त कर सकता है। परन्तु प्रार्थी ने जानबुझकर किला नं. 4–5–7 के खातेदारान को पक्षकार ना बनाकर पत्थर नं. 70/39 के किला नं. 15 में से रास्ता की मांग केवल अपनी सुविधा अनुसार की है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि में से सुविधा के आधार पर रास्ता चाहा जा रहा है। आत्यातिक आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम अंकित पत्थर नं. 70/39 के किला नं. 15 के दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम पासा की ओर 2–2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। भू.अ.निरीक्षक ठेठार द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2024 में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा इसी पत्थर नं. के किला नं. 4–5–7 में अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित किया है। हमने आंशिक नजरी नक्शा का अवलोकन किया। प्रार्थीया पत्रावली में मौजूद रिकार्ड अनुसार लघु श्रेणी का काश्तकार है। अप्रार्थीगण का रकबा संयुक्त खाता का है तथा विभाजन होना शेष है। भू.अ.निरीक्षक द्वारा किला नं. 4–5–7 में प्रस्तावित रास्ता लम्बा है। इसलिये प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम संयुक्त खाता में अंकित भूमि चक 3 बी.जे.डब्लयू. के पत्थर नं. 70/39 के किला नं. 15 के दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम की तरफ 2–2 बिस्वा यानि 0.025 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ता के बदला में प्रार्थीया वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगुना राशि तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष जमा करवायें। राशि जमा होने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 [illegible] किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 [illegible] करें। उक्त स्वीकृत रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रू[illegible] उक्त स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन [illegible] सुनिश्चित करें। पत्र[illegible] नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	4622 18/7/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:08 IST
Reason: SelfAttested